भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

गुरूवार, 13 मार्च, 2025/22 फाल्गुन, 1946 (शक)

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1690

गिग कामगारों के लिए एल्गोरिदमिक वेतन निर्धारण

1690 श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष रूप से वेतन परिवर्तनशील और पारदर्शिता के संबंध में गिग कामगारों पर एल्गोरिदमिक वेतन निर्धारण के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) संभावित वेतन संबंधी भेदभाव को रोकने के लिए एल्गोरिदमिक वेतन-निर्धारण तंत्र को विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या एल्गोरिदमिक वेतन मॉडल के कारण वेतन असमानताओं की जांच करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) क्या सरकार एल्गोरिदमिक वेतन शोषण से गिग कामगारों की रक्षा के लिए नियामक उपाय या न्यनूतम वेतन मानक शुरू करने की योजना बना रही है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में किए गए हैं, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

संहिता के अनुसार, एक गिग कामगार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से जीविकोपार्जन करता है।

यह संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवरेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय करने का उपबंध करती है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार ने दिनांक 1.2.2025 को की गई अपनी बजट घोषणा में ई-श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण और पहचान-पत्र की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।
